

अध्यक्ष—दूसरे दिन पहले आपको समय दिया जायगा।

श्री केशव प्रसाद—मैं बोल रहा था कि स्पिरिचुअलिज्म पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता

हूँ क्योंकि इर्रेलिभेंट हो सकता हूँ। मेटेरियलिस्टिक कनसेप्शन की दुनियाँ जो चल रही है, शायद आहिस्ते-आहिस्ते इस बात को महसूस करेगी कि गलत रास्ते में जा रहे हैं और उनका रास्ता गलत है, बिल्कुल डाइभर्टेड रास्ता है, फ्रॉम ट्रूथ ऐंड रियलिटी। इसलिए उनको सोचना है कि आज के युग में मेटेरियलिज्म पर पहुँच कर भी फायदा नहीं करते हैं तो 'बेदर वो शुड रिटर्न टू स्पिरिचुअलिज्म और पेरिश'। यह दो सवाल हैं, इन दो सवालों को हमें ठंडे दिल से जवाब देना है। मुझे समय तो ज्यादा नहीं है कि इस बात पर कुछ और कहूँ क्योंकि हमें तो अभी मेडिकल बजट पर बोलना है।

अध्यक्ष—अब आप बैठ जायें। सोमवार को पहला टर्न आपको मिलेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव।

ADJOURNMENT MOTION;

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

NEGLIGENCE IN ARRANGING FOR X' RAY EXAMINATION OF THE DAUGHTER OF SHRI GITA PRASAD SINGH, M. L. C. IN PATNA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL.

*Shri MUDRIKA SINGH : Sir, I beg to move :

"That the House do adjourn to discuss an urgent and definite matter of public importance, viz., the utter neglect of duties in not attending to the urgent and serious injury of the daughter of Shri Gita Prasad Singh, M.L.C., by the Medical College Hospital Administration, Patna by not arranging for the X' ray examination of her fractured left hand as recommended by a doctor".

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस विषय पर आज रेडियो विभाग, पटना जेनरल होस्पिटल की चन्द महत्वपूर्ण हिदायतों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक्सरे के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण हिदायत या स्टैंडिंग आर्डर, आप जो समझें, यह है कि डाक्टर वर्मा को जो वहाँ का रेडियोलोजिस्ट है, यह इन्स्ट्रक्शन है कि कोई अर्जेंट केस हो या रिक्वीजिशन स्लिप पर अर्जेंट लिखा हो, वह एक्सरे के लिये आये तो उस पर रेडियोलोजिस्ट यानी जो इसके प्रमुख डाक्टर है, उनके दस्तखत के बिना जो टेक्निशियन्स हैं उन्हें एक्सरे ले लेना चाहिये। उनके दस्तखत की जरूरत होती है लेकिन ऐसे केस में उनके दस्तखत की जरूरत नहीं है। दूसरी हिदायत या स्टैंडिंग आर्डर यह है कि ऐसे रिक्वीजिशन स्लिप जिनपर अर्जेंट नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन वह हेंड इन्जुरी हो या फ्रैक्चर का केस हो या इसी तरह के दूसरे केस हों तो टेक्निशियन्स को बिना रेडियोलोजिस्ट यानी हेंड ऑफ दि डिपार्टमेंट की इजाजत के या उनके सिगनेचर के एक्सरे ले लेना चाहिये और

१६५६) पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, २५ की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

उन्हें अर्जेंट मानना चाहिए। यही दो हिदायतें या स्टैंडिंग आर्डर हैं जिनके आधार पर जो केस में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसपर विचार करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दो हिदायतों से हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री अबतक जरूर अवगत हो गये होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इन दो हिदायतों का हवाला इसलिये दे रहा हूँ कि इन्हीं के आधार पर सदन के सामने यह विषय रखने जा रहा हूँ कि गीता बाबू की बच्ची के केस के सिलसिले में अस्पताल के टेक्निशियन्स ने अपनी ड्यूटी में फेल किया है और इन्हीं दो स्टैंडिंग आर्डर्स के आधार पर मैं अपना केस स्टैब्लिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह दर्दनाक कहानी गत ५ मार्च की है। श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, की बच्ची उनकी अनुपस्थिति में चार तारीख को सीढ़ी से लुढ़क गई और उसका हाथ टूट गया। उनके घर में कोई मेल मेम्बर नहीं था। फलस्वरूप ज्योंही वे घर आये यानी ५ ता० के सुबह को तो वे एम० एल० ए० डिस्पेंसरी के डाक्टर गुहा के पास, जो मास्टर आफ सर्जरी हैं, बच्ची को ले गये। बच्ची को देखते ही उसकी अर्जेंसी समझकर उन्होंने तुरत एक रिक्वीजीशन स्लिप बनाई और उन्हें हिदायत की कि जल्द से जल्द वे जेनरल होस्पिटल चले जायें और एक्सरे विभाग में जाकर उसका एक्सरे लें और तत्पश्चात् जो बीन के स्पेशलिस्ट डाक्टर मुख्याध्याय हैं उनके यहां जायें। उन्होंने यह भी हिदायत की कि एक्सरे की ड्राई प्लेट मिलने में देर होगी इसलिए वे डाक्टर से आग्रह करेंगे कि वे वेट प्लेट दे दें।

श्री देवकी नन्दन झा—हुजूर, मैं एक पोआएन्ट आफ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। चार तारीख को किस वक्त बच्ची का हाथ टूटा और पांच तारीख को वे किस वक्त अस्पताल ले गये।

श्री मुद्रिका सिंह—चार बजे शाम को घटना हुई। I do not want to be interrupted, Sir, because I have got only 15 minutes time at my disposal.

अध्यक्ष महोदय, वे वहां हिदायत के अनुसार गये। उस समय एक्सरे विभाग के जो दो-तीन डाक्टर या टेक्निशियन्स हैं वे बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। यह साढ़े आठ बजे सुबह का समय था। बहुत देर तक गीता बाबू अपनी बच्ची को गोदी में लिये वहां खड़े रहे, बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी फिर भी टेक्निशियन्स का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। इसपर उन्होंने उनका ध्यान शब्दों से अपनी ओर आकर्षित किया और कहा कि हम एक्सरे के लिए आये हैं एम० एल० ए०, डिस्पेंसरी की रिक्वीजीशन स्लिप है। वहां पर जो दो-तीन डाक्टर या टेक्निशियन्स बैठे हुए थे उनमें एक का नाम शर्मा जी है। उन्होंने गीता बाबू से कहा कि आज एक्सरे का दिन नहीं है। गीता बाबू ने कहा कि यह अर्जेंट केस है और उन्होंने रिक्वीजीशन स्लिप दिखलाई। शर्मा जी ने इस पर कहा कि आप लोगों को सारा केस अर्जेंट ही रहता है। फिर भी गीता बाबू खड़े रहे और कोई जवाब नहीं मिलने पर दो-तीन मिनट के बाद बोले कि आप हुकम देते हैं या मैं लौट जाऊँ। शर्मा जी ने कहा कि आप एक्सरे चाहते हैं तो यहां के जो प्रमुख डाक्टर वर्मा साहब हैं उनके पास आप जायें, जब उनका सिगनेचर होगा तो हम एक्सरे ले लेंगे। उन्होंने शर्मा जी से कहा

कि आप कृपया हमारी इतनी मदद करेंगे कि डाक्टर वर्मा कहां बैठते हैं? शर्मा जी ने कहा कि बाहर जाकर आप किसी से पूछ लें, यह मेरा काम नहीं है। वे बाहर आये और खोजते-खोजते किसी तरह वर्मा साहब तक पहुंचे। उस समय वे कुछ कागज देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आप किधर आये, जरा बाहर ठहर जायें। १० मिनट के बाद वे फिर उनके पास गये और रिक्वीजिशन स्लिप उन्हें दिखावाई। देखते ही वे बोले कि क्या टेक्नीशियन्स ने एक्सरे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, आपके दस्तखत की जरूरत है जैसा कि उन्होंने कहा है। डा० वर्मा साहब ने तुरंत दस्तखत मारा और अलग से एक स्लिप लिखा कि "Technician, why did you not arrange the X-ray without my signature?"

उस रिक्वीजिशन स्लिप और डाक्टर वर्मा की वह एक्सट्रा स्लिप जो उन्होंने अपनी ओर से दी थी, लेकर डाक्टर शर्मा के पास आये। शर्माजी स्लिप देखते ही आग बबूला हो गये और आपसे बाहर हो गये और उन्होंने इन्सानियत की जो सीमा है, उसका भी उल्लंघन किया और कहा कि हम तो आपके साथ शराफत से पेश आये थे वरना उसी समय हम आपको निकाल देते, जान्त कर देते। उस समय वहां पर हेड टेक्नीशियन इन्द्रासन बाबू भी कुछ दूर पर थे। इतना कहकर डाक्टर शर्मा उस स्लिप को लिए हुए जो डा० वर्मा ने लिखा था, इन्द्रासन बाबू के पास गये और स्लिप दिखाते हुए वाले कि 'देखो ना, डाक्टर वर्मा ने क्या नोट लिख डाला है'। इन्द्रासन बाबू ने कागज को देखा। गोता बाबू ने कहा कि यह तो आपके डिपार्टमेंट की बात है, आपने हिदायत दी तो हम उनके पास गये, उन्होंने क्या लिखा इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। आप क्या हुकम देते हैं? शर्मा जी ने कहा कि आपका एक्सरे तो होगा, आप रजिस्टर में इंट्री करायें।

गोता बाबू वच्ची को लिये बहुत देर तक बरामदे में चक्कर काटते रहे लेकिन रजिस्टर में इंट्री करने वाला कोई नहीं था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सा मंत्री सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन्द्रासन बाबू टेक्नीशियन ने इनसे कहा कि पहले आपको रजिस्टर में इंट्री करवाना होगा और वहां डा० शर्मा हेड टेक्नीशियन भी थे जिनका काम रजिस्टर में इंट्री करने का था। गोता बाबू बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। आधे घंटे के बाद डा० शर्मा से गोता बाबू ने कहा कि इंट्री करनेवाले का पता नहीं है तो क्या करें। डा० शर्मा ने कहा कि जब तक इंट्री नहीं होगी तब तक हम एक्सरे तक इंतजार करने के बाद गोता बाबू डा० वर्मा के घर पर यह कहने के लिये गये कि आपकी हिदायत के बाद न तो वहां रजिस्टर का ही पता है और न रजिस्टर में था जिसने बताया कि डा० वर्मा घर पर नहीं थे और दरवाजे पर एक बूढ़ा फिर गोता बाबू लौटकर डा० शर्मा के पास गये और बोले कि इतनी देर तक हम परेशान रहे, अब क्या करें? इस पर भी डा० शर्मा बोले कि जब तक इस पर नम्बर नहीं चढ़ेगा तब तक एक्सरे का काम नहीं शुरू हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाय, बाहर जाकर एक्सरे करा लें? जब ये बातें हो रही थीं तब इन्द्रासन बाबू ने गोता बाबू से कहा कि फार्म हमें दे दीजिए। गोता बाबू ने समझा कि अब हमारे प्रति नकं मन में दया आ गयी और हमारे बाहर एक्सरे कराने का विचार से इनका मन पिघल गया इसलिए उन्होंने फार्म उन्हें दे दिया। फार्म अपने हाथ में लेने के बाद इन्द्रासन बाबू ने कहा कि अब आप जहां चाहें जाकर

१६५६) पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह एम० एल० सी०, २७ की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

एक्सरे करा लीजिये। गीता बाबू ने कहा कि इस पर यह लिखा है कि कहां पर बांह टूट गयी है और किस हिस्से का एक्सरे होना चाहिये इसलिए कागज तो लौटा दीजिए। इसपर इन्द्रासन बाबू ने कहा कि इस पर हमारे वॉस का सिगनेचर है इसलिए यह अस्पताल की प्रोपर्टी है, इसे हम नहीं दे सकते हैं। एक तरफ कागज गीता बाबू पकड़े हुए थे और दूसरी ओर इन्द्रासन बाबू पकड़े हुए थे। उनकी वच्ची भी रही थी और जब उनको कागज नहीं मिला तो आंखों में आंसू भर कर और दिल में तमन्ना लिये हुए बाहर जाकर एक्सरे करा लिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत दर्दनाक है और फेल्योर आफ ड्यूटी की कहानी है जिसे मैं आपके जरिये सदन के सामने रखता हूँ। एक तरफ हिदायत यह है कि अर्जेंट केसेज में इंचार्ज के दस्तखत की जरूरत नहीं है फिर भी गीता बाबू से कहा गया कि डा० वर्मा के दस्तखत की जरूरत है। डा० वर्मा ने एक्सट्रा स्लिप पर लिखा कि तुमने क्यों नहीं एक्सरे लिया? मुझे उम्मीद है कि माननीय चिकित्सा मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे। हिदायत यह है कि जहां अर्जेंट केस है, जहां कोई ग्रंग फ्रैक्चर हो गया हो वहां डा० वर्मा के सिगनेचर की जरूरत नहीं है। डा० वर्मा ने टेक्नीशियन को पावर भी ऐसे केसेस के लिये दे दिया है मगर यह नहीं हुआ। क्या इन सब बातों से यह पता नहीं लगता है कि यह षड्यंत्र है? फरवी महीने में आई० जी०, पुलिस के कुत्ते का तीन बार एक्सरे लिया गया। एक आदमी के काम के लिये दो और तीन प्लेट बरबाद किये जाते हैं और किसीके केस को कुछ नहीं समझा जाता है। चीफ मिनिस्टर यहां मौजूद हैं इसलिये मैं उनसे यह कहता हूँ कि वे इस बात को देखें कि कुछ दिन पहले, पर पेशेन्ट कितना प्लेट बर्बाद होता था और अब पर पेशेन्ट कितना प्लेट बर्बाद होता है। पहले.....

अध्यक्ष—समय हो गया, अब आप बैठ जायें।

*श्री राम नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री मुद्रिका प्रसाद सिंह जी

ने सदन के सामने जो स्थगन-प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिए करता हूँ कि यह घटना यों तो देखने में साधारण घटना मालूम होती है लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज इसकी गहराई में जाकर हमको सोचना है कि यह घटना जो माननीय सदस्य श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, के साथ हुई है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या अहमियत है। मैं जब सोच रहा था कि चिकित्सा विभाग के मंत्री जो इस विभाग के खुदा हैं, उनका इसमें कहां तक दोष है और जो नौकराने हैं आदम की तरह उनका कहां तक दोष है तो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ।

आदम को खुदा मत कह, आदम खुदा नहीं।

लेकिन खुदा के नूर से, आदम जुदा नहीं॥

हमको सोचना होगा कि इसमें चिकित्सा विभाग के मंत्री और उनके नौकराने का कितना दोष है। प्रश्न यह है कि अभी जो शासन चल रहा है उसमें प्रतिनिधियों का क्या सम्बन्ध है। आज हम यह पाते हैं कि अफसरों में नौकरशाही मनोवृत्ति बढ़ रही है। जब जनता के प्रतिनिधि गीता बाबू के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि ये अफसर जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं।

२८ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, (१७ मार्च, की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर सोचता हूँ तो बड़ा ही दुख होता है। आज ही मैं एक किताब 'व्युरोक्रैसी इन डिमीक्रैसी' नाम की पढ़ रहा था। उसका एक चैंप्टर है, मैं अपने नौजवान विकित्सा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा इसे पढ़ने के लिये। अध्यक्ष महोदय, आज नौकरशाही जिस तरह की है उसे सब कोई जानते हैं। तकलीफ है। आप आज अस्पताल में देखेंगे कि अगर कोई एम० एल० ए० या उसके किसी व्यक्तिगत आदमी की चर्चा हो गई कि उनके ऊपर व्यंग विदुष किये जाते हैं और उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होता है। अगर वहाँ के कर्मचारियों को मालूम हो गया कि कोई एम० एल० ए० का सम्बन्धी है तो तरह-तरह के व्यंग कैसे जाते हैं। आज गीता प्रसाद जैसे आदमी जिस वातावरण से आये हैं, उनका जो स्वभाव है, उनका होंगे। मैं जानता हूँ कि किस तरह उनकी लड़की के पँर की हड्डी टूट गई और किस तरह वे अस्पताल पहुँचे। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि उसीके प्रतिक्रिया स्वरूप वे कुछ दूसरा व्यवहार किये होंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि इनकी जवानी की अवस्था में जो प्रतिक्रिया हुई उसमें वे तनिक भी अशांत नहीं हुए। व्यवहार की जो बात हुई उसे हमारे दोस्त श्री मुद्रिका सिंह ने आपके सामने बयान किया। आज जब गीता प्रसाद जैसे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो जनता के साथ क्या हो रहा है, यह प्रश्न ही कहां उठता है, इस पर आपको और हमको रोज हुआ करती है। अभी कुछ दिन की बात है बल्कि इस तरह की घटनाएं और सरकारी गाड़ी पर उनको ले जाया गया और १२ घंटे तक कोई डाक्टर उनको देखने के लिये नहीं आया और खुद इसी मंत्रिमंडल के एक मंत्रीजी ने जब उनका ध्यान आकृष्ट किया तब अटेंड किया गया। उसी तरह मैं अपने दांत के दर्द के हमने सोचा कि साधारण जनता की तरह हमारे साथ भी व्यवहार हो, काफी प्रतीक्षा करने के बाद हमारी बारी आई। दांत उखड़वाना था और सूई के लिये एक विद्यार्थी डाक्टर को कह दिया गया, जिस तरफ सूई देनी थी उधर न देकर दूसरी तरफ देने लगे लेकिन कहने पर ठीक स्थान पर दिये। उसके बाद दांत उखाड़ने के लिये एक विद्यार्थी डाक्टर को कह दिया, मैंने कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट हमी पर किया जायगा तो डाक्टर साहब ने कहा कि वह बहुत अच्छा डाक्टर है। खैर दांत उखाड़ा गया, लेकिन इतना व्यवहार भी वे करना पसन्द नहीं किये कि जरा टिचर लगा दें। मैं तरीके से काम लिया जाय लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब जनता के चुने क्या व्यवहार होता होगा, इसे आप समझ सकते हैं। गीता बाबू जैसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो दूसरों के सम्बन्ध में क्या आशा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इससे भी एक और गम्भीर बात है। जो कुछ उस दिन इस प्रश्न को लेकर यहां बात हुई थी इसके बाद से ही यह दिखलाने की कोशिश की जा रही है, इस आशय का कागज तैयार किया जा रहा है, जैसा कि विश्वसनीय सूत्र से पता चला है, कि यह दिखलाया जाय कि उस दिन उस समय बहुत से अर्जेंट कंसेज

थे इसलिए गीता बाबू के केस को अटेंड करना सुविधाजनक नहीं था। मैं अपने चिकित्सा मंत्री से कहूंगा कि वे आज ही, शीघ्र ही, इस बात की जांच करावें कि क्या यह बात सही है या नहीं? इतना ही नहीं आपको यह भी देखना होगा कि आस-पास के आठ-दस दिनों में रोजाना अर्जेंट केस कितने थे और अगर सभी दिनों से उस दिन में साम्यता हो, हो सकता है दो-चार का फर्क हो लेकिन १६ या १७ केसेज ज्यादा हो, तो इस पर विचार करना होगा, इसकी जांच होनी चाहिये। अगर ऐसी बात हो तो मैं समझता हूँ कि अपने दोष को छिपाने के लिये सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन्स का यह काम नहीं हो सकता है, उसमें अवश्य ही सुपरिटेण्डेंट या दूसरे अफसरों के मेल से ही यह संभव हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच अत्यन्त शीघ्रता के साथ होनी चाहिये ताकि उनको फिर दूसरा उपाय अपने दोष को छिपाने के लिये निकालने का मौका न मिले।

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वायन्ट आफ इन्क्विमेंशन रेंज करना

चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव सिर्फ टेक्नीशियन्स के लिए है या सुपरिटेण्डेंट या डेपुटी सुपरिटेण्डेंट के लिये भी है, मैं समझता हूँ कि इस काम में जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं सुपरिटेण्डेंट या डेपुटी सुपरिटेण्डेंट का भाग लेना अस्वाभाविक मालूम होता है।

श्री रामनारायण चौधरी—बातें अगर स्वाभाविक रहतीं तो कहने की आवश्यकता

नहीं पड़ती। अस्वाभाविक बातें हुई हैं तभी इन बातों को कहा जा रहा है। मुझे इसकी खबर अत्यन्त ही विषवसनीय सूत्र से मिली है और इसीलिये मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि सुपरिटेण्डेंट साहब या कोई दूसरा अफसर दोषी है या नहीं लेकिन जिस तरह की घटना घटी है और उसको छिपाने के लिये जो काम किये जा रहे हैं उसका मुझे भान हुआ है और उसका जिक्र मैं कर रहा हूँ।

अध्यक्ष—यह तो आपका अनुमान है।

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, जिसने लिख कर दिया वह प्रामाणिक

आदमी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तुरत जांच हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अफसरों के बीच बेरदाराने सम्बन्ध की वजह किस तरह की कोशिश होती है दोष को छुपाने के लिये जब एक पर आपत्त आती है, सभी उसकी रक्षा करने लगते हैं।

मैं जानता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि कागज मंगाया जाय और उसकी जांच की जाय कि कितने अर्जेंट केसेज उस दिन आये थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि जो केसेज रेफर होकर एक्सरे के लिये अस्पताल में आये उनमें बहुत से पर अर्जेंट लिख दिया गया ताकि पता चले कि बहुत अर्जेंट केसेज थे। मेरा ख्याल है अध्यक्ष महोदय, इसमें डाक्टर वर्मा और सुपरिटेण्डेंट साहब का जरूर हाथ था तभी ऐसा हुआ।

अध्यक्ष—आप क्या पढ़ रहे हैं? यहां चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है?

३० पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, (१७ मार्च, की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

श्री राम नारायण चौधरी—तो मैंने शुरू ही में कहा है कि जितने अफसर हैं

उनकी बात जब आती है तो किस तरह मिला-जुला कर सचाई को छिपाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ यह कहा जाता है कि आज एक्सरे का दिन नहीं है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि एक्सरे के बहुत कैसेज थे। तो मेरा कहना है कि उस दिन बहुत से अर्जेंट कैसेज थे इसकी जांच होनी चाहिये। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि इसमें सुपीरियर अफसर का हाथ था इसीलिए कागज में हेर-फेर किया गया है।

श्री रामचन्द्र यादव—अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री गीता प्रसाद जी के साथ

घटना घटी है वह एक नयी घटना नहीं है। बहुत से लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। मेरे पास उदाहरण हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि डाक्टर लोग रोगियों के साथ इन्सान के ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं।

अध्यक्ष—उदाहरण मत दोजिये। जो घटना घटी है और उसके बारे में आप कुछ जानते हैं वही कहिये।

श्री रामचन्द्र यादव—आज परिस्थिति ऐसी है कि जो डाक्टर मेडिकल कॉलेज के हैं वे अपने घर पर मरीज को देखते हैं और घर पर देख कर ज्यादा पैसा लेते हैं और उन्हीं का ऐडमीशन करते हैं।

अध्यक्ष—आप एक जिम्मेवार सदस्य हैं; अनिश्चित बातें न कहिये। जो वाक्या हुआ है उसके बारे में जो कुछ जानते हैं और उसमें जो कुछ गलती हुई है और किसने ऐसी गलती की इन विषयों पर कहिये।

श्री राम चन्द्र यादव—श्री गीता बाबू अपनी लड़की को लेकर अस्पताल के सब दरवाजे को खटखटाये। उनके पास एम० एल० ए० डिस्पेंसरी के डाक्टर का अर्जेंट स्लिप भी थी लेकिन तभी उनको मेडिकल एड नहीं मिल सकी। वे चारों तरफ से निराश होकर इधर-उधर भटकते रहे।

अध्यक्ष—किसकी गलती है वह बतलाइये ?

श्री रामचन्द्र यादव—जो एक्सरे लेने वाले शर्मा थे उन्होंने कहा कि डा० वर्मा

का दस्तखत ले आइये तब एक्सरे होगा। इसमें उनको बहुत परेशानी हुई। यह उनकी गलती है और उनकी बच्ची की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका और वे बाजार में आये। मैं एक केस को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। एक हमारे एम० एल० ए० श्री रामेश्वर प्रसाद यादव बीमार पड़े। दो दिन तक घर पर ही इलाज हुआ। एम० एल० ए० डिस्पेंसरी के डाक्टर ने इलाज किया। उनको १०२ डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन जब उनका टेम्परेचर नहीं उतरा तो मैंने अस्पताल के सुपरिन्टेंडेंट को फोन किया और

एम्बुलेंस मांगा। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गया और मैं उनको लेकर अस्पताल पहुंचा और इंडियन पेइंग वार्ड में उनका एडमिशन हो गया। जो रुपया पेइंग वार्ड का जमा करना था वह जमा कर दिया गया। हमारे दोस्त रामेश्वर यादव, सदस्य, विधान सभा, वहां रह गये। उसके बाद लोगों ने कहा कि आप जाइये सब कुछ हो गया। उसके बाद रात को मैं भी उनको देखने के लिए अस्पताल गया तो देखा कि उनको १०५ डिग्री बुखार है। रात के नी बजे थे। मैंने सभा नेता डा० श्रीकृष्ण सिंह को फोन किया लेकिन वे एम्बुलेंस नहीं थे। उसके बाद अनुग्रह बाबू को फोन किया। हमारे दुर्भाग्य से वे भी एम्बुलेंस नहीं रहे। उसके बाद चिकित्सा मंत्री को फोन किया वे भी नहीं मिले। उसके बाद श्री शिवनन्दन मंडल को फोन किया, वे मिले और उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूं और बनें गये। उसके बाद सभी डाक्टर पहुंचे। मंडल जी ने कहा कि जो भी गलती हुई वह हुई, अब सब ठीक हो जायगा। डाक्टरों से पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि जो रुपया जमा किया गया उसकी रसीद मेरे पास नहीं पहुंची। और जिस डाक्टर के चार्ज में वे थे उसने कहा कि इसके पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। इसी तरह कई एक बहाने किए गये जिस तरह कोई चोर कोर्ट में बहाना करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गीता बाबू अपनी लड़की को लेकर परेशान हुए और किसी प्रकार उनको मेडिकल एड नहीं मिल सकी और वे निराश होकर लौटे।

अध्यक्ष महोदय, यही हालत आज हर जगह की हो गयी है। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर जरा गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। आजकल जो हमारे डाक्टर हैं उनका उद्देश्य बदल गया है, उनका उद्देश्य केवल यही है कि जैसे ही खूब रुपया बंटाना, उनमें आज यह भावना नहीं रह गयी है कि वे जनता को रोगों से मुक्त करें, सेवा करने की भावना को वे बिल्कुल भूल गये हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस ओर उचित कार्रवाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—अध्यक्ष महोदय, श्री मुन्निका सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करने को मैं खड़ा हुआ हूं। हमलोगों को मालूम है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हिदायत है कि यदि कोई इमरजेंट केस आ जाय तो बिना उनकी सहमति लिये ही उस केस को टेकअप करना चाहिये। इस हिदायत के विपरीत और जब कि गीता बाबू के नुस्खे पर इमरजेंट शब्द लिखा हुआ था, फिर भी जब गीता बाबू अपनी लड़की को लेकर गये तो उनको कहा गया कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अनुमति ले आये, और जब वे अनुमति लाने गये तो वहां भी १० मिनट समय लग ही गया और अनुमति देते हुये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने लिखा कि ऐसे इमरजेंट केस के लिये मेरी हिदायत पहले से है कि फौरन टेकअप किया जाय। बड़े दुःख की बात है कि हमारे प्रान्त के डाक्टर ऐसे निष्ठुर हैं कि उनके दिल में रोंते-कलपते हुये भरीजों के लिये कोई दर्द नहीं है। इस तरह के डाक्टर दुनिया में किसी दूसरी जगह नहीं पाये जाते हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ कहूंगा कि जब आप जनता से रुपया लेकर उनपर खर्च करते हैं, उनको मुशहरा देते हैं, उनके रहने के लिये मकान देते तथा दूसरी-दूसरी तरह की सुख-सुविधायें देते हैं तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं मजबूर करते कि वे अपना काम ठीक से करें। जब लेजिस्लेचर के एक मेम्बर के साथ वे इतनी

३२ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, (१७ मार्च, को पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

बुरी तरह पेश आ सकते हैं तो आप खुद सोचें कि आम जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार हो सकता है। बात ऐसी मालूम होती है कि मंत्री लोग अपने-अपने विभागों को अपने काबू में नहीं रख सकते हैं बल्कि उन विभागों के अफसरों के काबू में ही उन्हें रहना पड़ता है। यह सब खराबी इसी कारण है कि आपने उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दे रखी है। आपके छूट के कारण वे दिन-रात पैसे चूसने में लगे रहते हैं और जिसने-दो-दो सौ, चार-चार सौ रुपया दे दिया, उसका इलाज फौरन करते हैं और यहां तो माननीय सदस्य को मुफ्त का इलाज करवाना है इससे तो कुछ मिलने-जुलने वाला नहीं है, इसलिये वे क्यों इनकी परवाह करेंगे। इस तरह की मनोवृत्ति हमारे प्रान्त के डाक्टरों की हो गयी है। जब हमलोग इस सभा के समक्ष कोई शिकायत करते हैं तो माननीय मंत्री उसको छिपाने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष—छिपाने की कोशिश करते हैं ऐसा कोई सबूत तो नहीं है?

श्री चुनका हेम्ब्रोम—मैं अनुमान से कहता हूं।

अध्यक्ष—अनुमान के आधार पर शिकायत नहीं करनी चाहिये।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—जी अच्छा, मैं इसे वापस कर लेता हूं।

यह बात कही गयी कि यह कैसे सचमुच इमरजेंट कैसे नहीं था लेकिन इसे इमरजेंट कैसे बनाया गया। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डाक्टरों में मनुष्यता नहीं है और वे मनुष्य होते हुए भी मनुष्यों को चूसते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सभी बातों की जांच करे और जो दोषी समझे जायें उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और यह बहाना सरकार न लगाय कि यदि हम प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर देंगे तो हमें एक्सपेंस नहीं मिलेंगे। मंत्री ऐसी बातें करते हैं तो डाक्टरों के दिमाग पर यह असर होता है कि हमारे बिना सरकार का काम ही नहीं चलेगा।

आज से पहले जब स्वराज नहीं हुआ था तब हमलोग मुख्य मंत्री महोदय का भाषण सुनते थे, तो बहुत प्रभावित होते थे।

Shri RAMCHARITRA SINGH : I rise on a point of order, Sir. The adjournment motion is on a specific issue, but the hon'ble member is diverting his speech to other points in a general way. That he should not do.

SPEAKER : I think he can plead for punishment also.

Shri RAMCHARITRA SINGH : If that is your ruling, Sir, I resume my seat.

श्री चुनका हेम्ब्रोम—मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इसको दुहरा बर्ना चाहता हूं कि मेरा यह चिकित्सा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन बंद है। इसकी वह काफी छान-बीन करावे और जो कसूरवार हो उसको उचित

*श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से मुद्रिका

बाबू के भाषण को सुना और हमारे माननीय सदस्यों ने जो कहा उसको भी सुना। इसमें दो राय की बात नहीं हो सकती कि हमारे पटना मेडिकल कॉलेज के डाक्टरों ने फेलियोर आफ ड्यूटी बराबर दिखालाई है और दिखालाते हैं और यह एक दुखद बात है जिसके लिए उनका कंडेमनशन होना चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इस सवाल को इस दृष्टिकोण से देखा जाय कि गीता बाबू विरोधी दल के सदस्य हैं। यह सवाल तो हमारे साथ या सभी के साथ है। मैं यह भी नहीं चाहता कि विहार विधान सभा या परिषद् के सदस्य होने की हैसियत से किसी को खास प्रिभिलेज दिया जाय। मेरा कहना यह है कि भारत के नागरिक होने की हैसियत से जो मेरा या किसी का अधिकार हो वह अवश्य मिले। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुर्व्यवहार होता है लोगों के साथ और वहां फेलियोर आफ ड्यूटी होती है और इसका मैं एक मिसाल अपने तजरबे का यहां देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आपके मिसाल से इस स्थगन-प्रस्ताव का क्या संबंध है?

Shri DAROGA PRASAD RAI : This will show, Sir, that it is not the first time that failure of duty on the part of the Medical College Hospital authorities has occurred, and that it is a thing which is of common occurrence.

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—उनके पहले के कंडक्ट से वर्तमान कैसे

भी साबित होगा।

अध्यक्ष—इसलिए आप अपना उदाहरण देना चाहते हैं कि ऐसा वे किया

करते हैं तो इस बार भी किया होगा?

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—लास्ट बजेट सेशन की बात है।

अध्यक्ष—पहले हमको आप समझा दीजिए कि उदाहरण देने का क्या उद्देश्य है?

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अदालत के सामने

अगर कोई मुजरिम रहता है तो उसके कंरेक्टर पर भी एविडेंस रेलिक्वेंट माना जाता है।

अध्यक्ष—हमेशा ऐसी बात नहीं होती है।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—पहले सुन लिया जाय; अगर रेलिक्वेंट हो तब

मंजूर किया जाय। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा एक छोटा नौकर १० वर्ष का बच्चा फ्लैट से नीचे गिर गया।

१४. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, (१७ मार्च) की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

अध्यक्ष—यह मिसाल तो दूसरे तरह की है।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—यह एक बहुत अच्छी मिसाल है, अध्यक्ष महोदय (हंसी)।

अध्यक्ष—लेकिन यह एक बच्चे के बारे में मिसाल है और मोशन है एक बच्ची के बारे में।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—डॉक्टर के कंडक्ट के ही बारे में है।

अध्यक्ष—अच्छा कहिए।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—तो वह गिर गया और बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून गिरने लगा। मेरे पास मोटर तो थी लेकिन उसकी बंदी खराब थी इसलिए वह आर्डर में नहीं थी उस वक्त। मैंने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेंट को टेलीफोन किया और कहा कि उस बच्चे के मुंह से खून गिर रहा है और मालूम होता है शायद नहीं बचे। सुपरिन्टेन्डेंट साहब ने कहा कि मैं भी फोन कर देता हूँ और आप फोन कीजिये इमर्जेंसी वार्ड को, वे लोग वोजन लोगों ने कहा कि पहले रुपया जमा करना पड़ता है तब एम्बुलेंस भेजा जाता है। हमने कहा कि दो-तीन रुपए की तो बात है मैं जमा कर दूंगा, इतनी छोटी रकम लेकर मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए, लड़का बेहोश है और हो सकता है नहीं बचे। मैंने यह भी कहा कि जब रुपया हम दे देंगे तो आप गाड़ी पर उसको चढ़ाइयगा। उन्होंने जवाब दिया: "आई एम हेल्पलेस"। मैंने फिर सुपरिन्टेन्डेंट को फोन किया। उन्होंने कहा कि हम टेलीफोन कर रहे हैं; आप फिर टेलीफोन कीजिए। वे लोग जरूर गाड़ी भेजेंगे। हमने फिर टेलीफोन किया इमर्जेंसी वार्ड को, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम बहुत क्षमट में पड़े। उस वक्त एकादश एम० एल० ए० वहां और मौजूद थे। हमको वहां तक याद है हमारे चीफ न्हिप श्री राम लखन सिंह यादव भी वहां थे। हमने आखिर मजबूर होकर एक रिक्शा किराया करके एक दूसरे आदमी के साथ उसको भेजा। संयोग की बात लड़का बच गया। चन्द दिनों के बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि यह किसी एम० एल० ए० का आदमी है तो बिछावन से उतार कर नीचे फर्श पर उसको सुला दिया गया (हंसी)। अब एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। रामनारायण मंडल नाम का एक लड़का जिसका केरीयर बहुत ब्रिलियंट, मेडिकलेशन फस्ट डिवीजन.....

अध्यक्ष—आपके फिर और उदाहरण देने का क्या मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—मैं यह कह रहा था कि वह लड़का आई० एस०-सी०

में युनिवर्सिटी में थर्ड हुआ।

अध्यक्ष—यह सब कहने से तो कुछ होगा नहीं (हंसी)।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—जब वह लड़का बीमार पड़ा तो मेडिकल बाई

में भर्ती हुआ।

अध्यक्ष—आप 'काम रोको' प्रस्ताव के बारे में जो कुछ कहना हो कहें।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—इस तरह की घटना पटना जेनरल अस्पताल में

बराबर होती है और मैं जो उदाहरण देना चाहता था उसे अब नहीं दूंगा।

अध्यक्ष—आप डाक्टर की गलती के बारे में कहें।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—इसमें क्या कहना है। इसमें डाक्टर की गलती तो

जल्द थी। कोई बीमार हो, दुख से तड़पता हो, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को खटखटाता फिरता हो और उसे अस्पताल में कोई सुनने वाला नहीं हो, यह क्या डाक्टर का नेग्लिजेंस नहीं है? इसी प्रकार की एक घटना कई वर्ष पहले हुई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। श्रीमती सरस्वती देवी जो इस सभा की एक सदस्या थीं उनका कर्नल मोहानी ने अपमान किया था जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों के अन्दर ही उनको हिन्दुस्तान छोड़ कर विलायत जाना पड़ा। कोई भी डाक्टर अगर वह अपने ड्यूटी में फेल करता है तो वह दूसरों की जान के साथ खेलवाड़ करता है। यहां केवल ड्यूटी में फेल करना दूसरे किसी प्रकार के काम के ऐसा नहीं है। यहां तो जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं मेडिकल कॉलेज के इस तरह के नेग्लिजेंस का बहुतसा दृष्टांत दे सकता हूं, पर इजाजत नहीं है, इसलिये इतना ही कह कर बंठ जाता हूं।

*श्री दारोगा प्रसाद राय—अध्यक्ष महोदय, आपने बार-बार कहा है कि इस घटना

के बारे में जो कहना हो कहें। पटना जेनरल अस्पताल के लिये तो यह कोई नई चीज नहीं है। यह तो इस अस्पताल के लिये एक परमानेंट बीमारी है, जिसको दूर करने के लिये दवा खोजनी है। दो साल पहले जब प्रोफेसर घोष की मृत्यु हुई थी, उस समय हम लोगों में से सबसे पुराने सदस्य (एन ओल्डस्ट मेम्बर ऑफ दिस हाउस) श्री हरवंश सहाय ने कहा था कि यह अस्पताल नहीं है, कसाईखाना है। कोई भी आवेश में ऐसा कह सकता है क्योंकि यहां का व्यवहार ही इस तरह का होता है जिस कारण से ऐसा कहने के लिये मनुष्य बाध्य हो जाता है। हम लोग इस तरह के व्यवहार के अभ्यस्त हो गये हैं, इसलिये कुछ नहीं कहते हैं। आजकल तो पब्लिकमेंट को पब्लिक के वोट पर निर्भर करना पड़ता है जिनके वोट पर पं० जवाहर लाल को भी निर्भर करना पड़ता है। हम लोग इस अस्पताल के व्यवहार से भी अभ्यस्त हो गये हैं और यहां के दुर्व्यवहार का कभी जिक्र भी

नहीं करते हैं। हमारे साथ भी एक घटना हुई थी, पर मैंने न प्रश्न ही दिया, न 'काम रोको' प्रस्ताव ही दिया पर श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल ने जो बात कही है वही हमारे साथ भी हुई थी। हमारे छोटे भाई की स्त्री को डिलेवरी होने वाली थी। मैं एम० एल० ए० फ्लंट में रहता हूँ और मैंने वहीं से फोन किया था कि एम्बुलेंस भेज दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, जवाब आया कि २ रु० जमा कर दीजिए तो कार भेजी जायगी। हमने फिर कहा कि यह बहुत इमरजेन्ट केस है पहले आप कार भेज दें, मैं वहाँ आकर रुकूँ, और आजकल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं, बैठे हुए थे। हमलोग आपसे कोई खास प्रिविलेज नहीं चाहते हैं। उन्होंने भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और कार देरी में आई। नतीजा यह हुआ कि चिकित्सा विभाग के नैग्लिजेंस के कारण उसे कार में बच्चा पैदा हो गया। हमने इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं कि कंप्लेंट करना यूसलेस है। आज मंत्रियों का यही खैया हो गया है कि वे कंप्लेंट करने पर उसको जांच कर दिये जायेंगे और जांच होने पर ६६ प्रतिशत केस इन्वोसेन्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज कल रोज की यही बात है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर कंप्लेंट किया जाय तो उसकी जांच उसी विभाग के द्वारा की जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि कुछ भी नहीं होता है। अगर उप-निदेशक पर कंप्लेंट है उसकी जांच निदेशक करते हैं और किसी विभाग के आफिसर पर अगर शिकायत है तो उसकी जांच भी उसी विभाग के द्वारा करायी जाती है। तो हमारा कहना है कि आजकल जांच से कुछ होता नहीं है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमलोगों को खास सुविधा मिले, मेरा कहना यह है कि इस बुराई को दूर करने के लिए कोई रेमेडी निकालना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि किसी टेक्नीशियन ने गलती की या डाक्टर बनर्जी ने गलती की, गलती करना तो इममेंटेरियल है। लेकिन हमारा कहना है कि किसी चीज की जांच की जाती है तो दोष करने वाले का बाल बांका नहीं होता है और वह दोष दूसरे पर फेंक दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस सिरियसनेस को दूर करने के लिए हार्ड पावर कमिटी बननी चाहिए और वह इसकी जांच करे और इस तरह इसे दूर करने की कोशिश की जाय। हुजूर, हमलोगों का भी इन सब वजहों से पोजीशन खराब रहता है क्योंकि इस अस्पताल में अच्छे से अच्छे भी डाक्टर हैं और हमलोगों को उनसे रात-दिन काम रहता है तथा ऐसा वाक्या होने से हमलोगों को खिलाफ में बोलना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई डाक्टर जहर दे देगा तभी हमलोगों को कोई संदेह नहीं होगा क्योंकि हमलोग अपने जीवन को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत से डाक्टर ऐसे हैं जो रुपया लेने पर किसी की जान भी चली जाय तो भी इनको परवाह नहीं रहती है।

They are money-grabbers and they can grab money at the cost of the life of the people.

तो ये जो पेशा वाले डाक्टर हैं उनकी ऐसी हालत है और यह बहुत शर्मनाक और सीरियस बात है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार एक हार्ड पावर कमिटी बनावे और उसमें गैर-सरकारी और सरकारी योग्य आदमियों को रखे जो

१६५६) पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, १७ की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

दोष को साबित करने में खूबी के साथ काम करे। मुझे भी कई डाक्टरों से बातचीत होती है। मुझे एक पूर्णिया के डाक्टर से बातचीत हुई थी जोकि एक प्राइवेट डाक्टर है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको तो लोग बदमाश नहीं कहते हैं और हम पर किसी का इम्प्रेशन खराब नहीं है, लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ऐसा क्यों एंफेयस रहता है। हम नहीं कहते हैं कि सभी डाक्टर मनी-ग्रैवर्स हैं, बहुत से ऐसे डाक्टर हैं जो सेन्टली हैं और लोगों को अच्छी तरह से देखते हैं। तो सभी दोष डाक्टर पर ही नहीं लगाये जा सकते हैं, कुछ एंडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज भी होती हैं। कुछ दोष डाक्टर्स और टेक्नीशियन्स के रहते हैं और कुछ दोष वकिंग में भी रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल जो राजेन्द्र ब्लौक बन रहा है, उसमें कर्नल नाथ उसके इन्चार्ज हैं और यह काम उनको इनाम में दिया गया है चूंकि वे हजारीबाग जेल में अच्छा काम किए थे और स्वीटजरलैंड से कुछ विशेषता लेकर आये थे। तो मैं कहता हूँ कि कब तक उनको ये इनाम दिए जायेंगे, पता नहीं चलता है। साहब, इसी पटने में सरकार बंठी हुई है और यहीं से १० डेग की दूरी पर ये सब वाक्या होते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर समय मिल जाय तो मैं और साफ-साफ बतलाता, लेकिन हमारे पास समय नहीं है।

अध्यक्ष—अगर आप रेलवेन्ट बातें कहेंगे तो आपको समय मिल सकता है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—अगर हमको मेडिकल वजह पर बोलने के लिए

सोमवार को समय मिला तो मैं इस पर कहूंगा। तो आप एक तरफ कहते हैं कि लोगों को आजादी दी गयी है और दूसरी तरफ आप पब्लिक के जीवन के साथ खेलवाड़ करते हैं। हम कभी भी नहीं एम० एल० ए० कह कर दवा कराने गए हैं और हम कहना भी नहीं चाहते हैं और हम किसी डाक्टर से अगर जान-पहचान है तो उसी से काम करा लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए एक हार्ड पावर कमिटी बनावें और इस पर ऐक्शन लें जिसमें फिर आगे से ऐसी बात नहीं होने पावे। कुछ आदमियों के चलते अच्छे-अच्छे डाक्टर भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, इसलिए आप कमिटी बनावें और जांच कराकर दोषी को पनिशमेन्ट दें।

तो इसमें बहुत से रिजन्स हैं जिसकी वजह से ऐसी बातें आये दिन हुआ करती हैं। इसलिए मेरा अन्तिम निषेधन है कि जिस पटिकुलर आदमी ने गीता ब्राह्म की बच्ची की साथ खेलवाड़ किया है उसको ऐसी सजा दी जाय जिससे आगे भी ऐसा न हो और हमेशा के लिए भी यह बात दूर हो जाय तथा वकिंग भी अच्छी तरह से चले। इतना ही मेरा इस समय पर कहना है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस बहस के दरम्यान में हमारे

माननीय चिकित्सा मंत्री ने बताया है कि जो वाक्या हुआ है उसकी पूरी जांच होगी। लेकिन उसमें डिफेंस में जो डाक्टरों की बातें होंगी उसकी एक क्षलक उनकी भावना में मिली है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक वाक्या का सवाल है यानी जहां तक श्री गीता प्रसाद की बच्ची के इलाज का सवाल है, यह सबस्टेंशिएट हो चुका है कि डाक्टर की गलती हुई है, और इसमें कोई

३८ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, (१७ मार्च, की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

मतभेद नहीं हो सकता है। जब सर्टिफिकेट हो चुका और सदन के सामने सारा वाक्या आ चुका है तो हम उसकी पूरी जांच के लिए एक एन्क्वायरी कमिटी बँठानी चाहिये। हमारे सदन के कई सदस्यों की भी राय है कि इस एन्क्वायरी के लिए एक हाई लेवेल एन्क्वायरी कमिटी बँठाई जाय। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री हमारी राय मान लेंगे। मान लिया जाय कि डिफेंस की ओर से यह कहा जा सकता है कि श्री गीता प्रसाद सिंह की वच्ची के केस में कोई अर्रजेंसी नहीं थी। हमारे माननीय मंत्री ने भी इन्टरवीन करते हुए डिफेंस को बचाने के जैसा, जो बातें कही हैं उससे.....

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि मैंने किन बातों में या किन शब्दों में डिफेंस करने की बात कही है?

श्री यमुना प्रसाद सिंह—आपने सुपरिन्टेन्डेन्ट की बात कही कि सुपरिन्टेन्डेन्ट ने रिपोर्ट दी कि अर्रजेंट केसेज उस दिन थे।

श्री हरिनाथ मिश्र—जहां तक मैं समझ सका सुपरिन्टेन्डेन्ट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन माननीय सदस्य चौधरी जी के भाषण से जैसा मालूम हुआ कि उनका कहना था कि एक तरह की साजिश है जिसमें सुपरिन्टेन्डेन्ट भी शामिल हैं, वे साजिश में हिस्सा रखते हैं। लेकिन यह असंभव मालूम पड़ता है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—अर्रजेंसी थी ऐसा केस श्री गीता सिंह का था।

अध्यक्ष—जिस वक्त वे वहां गये उस वक्त किसी को एकजामिन नहीं कर रहे थे।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—हमने तो उसको दूसरे हीले फीम में रखा है।

श्री गीता सिंह जी के स्टेटमेन्ट को मान लिया जाय।

अध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतनी बात है कि जिस वक्त वे गये कोई केस नहीं था। तीनों बिना काम के थे। तब तो आगे कोई अर्रजेंट केस था या नहीं यह सवाल नहीं उठता है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—इस विषय में छानबीन की जाय। कोई हाई लेवेल इनक्वायरी की जाय।

अध्यक्ष—अभी हाई लेवेल या लो लेवेल की बात नहीं कही गयी है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—सदन के सामने कोई डिफेंस नहीं है। श्री मुद्रिका सिंह ने कहा कि कहां डिफेंस है। उस हालत में मैं यह सुझाव देता हूँ।

१९५६) पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, की ३६ पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

***श्री रामानन्द तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय,** जिस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर

सदन विचार कर रहा है, यह किस उद्देश्य का परिचायक है, यह स्टैंट आज किस तरफ जा रहा है, उसीका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे स्टैंट के जो बड़े-बड़े सुपीरियर अफसर हैं उनकी मनोवृत्ति क्या है आप विचार करें।

अध्यक्ष—सुपीरियर अफसर की बात कहां है?

श्री रामानन्द तिवारी—टेकनीशियन की बात है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट की बात

है, उनके जो प्रधान हैं उनकी बात है। वे ही वहां सुपीरियर अफसर हैं।

अध्यक्ष—इसमें तो वान्ट ऑफ सुपरविजन पर विचार करना है।

श्री रामानन्द तिवारी—खैर, इसे छोड़ देता हूं। टेकनिकल मेडिकल कानून के अनुसार,

मेडिकल कोड के अनुसार ही नहीं बल्कि दूसरा मानवीय तरीका भी होना चाहिए, दोनों तरह का होना चाहिए। यह नहीं कि एक आदमी जीवन-मरण से संघर्ष कर रहा हो, एक आदमी के ऊपर इतना बड़ा खतरा हो और डाक्टर न जाय। एम० एल० ए० डिस्पेंसरी का प्रधान डाक्टर लिख देता है कि सत्काल इसका एक्सरे लिया जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप विचार करें कि वहां एक्सरे विभाग में चाहे वे एम० एल० सी० हों, एम० एल० ए० हों या साधारण नागरिक हों, सभी पर ध्यान रहना चाहिए, मैं उनमें नहीं हूं कि मैं एम० एल० ए० हूं जिनको खास सुविधा दी जाय, यह मानने वाला मैं नहीं हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इस राज्य की जनता, इस देश की जनता, जानती है कि जो एम० एल० ए० हैं, एम० एल० सी० हैं, वे कानून जानते हैं और वे ही नियम बनाते हैं।

हमलोग जनता के प्रतिनिधि हैं, नियम बनाने वाले हैं, सदन में बजट पास करते हैं, दुख-सुख को दुनिया के सामने रख सकते हैं जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो आज जो जनता देहात से आती है या गरीब-मजदूर है उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा, इसका यह सबसे बड़ा प्रमाण और परिचायक है। एक छोटी बच्ची को रोते हुए लेकर एक माननीय सदस्य जाते हैं.....

अध्यक्ष—एक बात है। अगर वे एम० एल० सी० होने का दावा रखते हों और

समझते हों कि फायदा होगा, फायदा हो या नहीं, मैं नहीं जानता। एम० एल० सी० होने की वजह से ऐडजोर्नमेंट मोशन आ सका।

श्री मुद्रिका सिंह—इस हाउस में मैंने ४ बार ऐडजोर्नमेंट मोशन लाया है,

यह धवा है जिसे आपने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष—तो हमारी धारणा ठीक नहीं है?

श्री रामानन्द तिवारी—जब प्रोफेसर घोष की मृत्यु हुई उस वक्त मैंने ऐडजोर्न-

मेंट मोशन लाया। फिर एक मेहतर की हत्या हुई तब हमने शोर्ट नोटिस कन्वेंशन

रखा, यह तो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि जब राज्य की जनता के साथ अन्याय हो तो मैं उसको सदन के सामने रखूँ।

अध्यक्ष—आप तो वही रख सकते हैं, जिसकी खबर आपको हो।

श्री रामानन्द तिवारी—जी हाँ। जब खबर मिलेगी ही नहीं तब कैसे रख

सकूँगा? मेडिकल कालेज का डाक्टर इस तरह से व्यवहार करता है। ३ आदमी बँठ कर बातें कर रहे हैं और रोती हुई बच्ची के तरफ उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वे नहीं पूछते हैं कि बच्चे को क्या हुआ है जबकि अर्जेंट लिखा हुआ है। कम से कम एक मनुष्य के नाते भी उन्हें पूछना चाहिए था। एक आदमी कुर्सी पर बँठा हुआ है, वह कहता है कि जाकर प्रधान डाक्टर से दस्तखत करा कर लाइए, आपके पास इमर्जेंसी के बारे में जो कानून है वह कहता है कि वहाँ २४ घंटे लोग रहते हैं, १२ बजे रात में भी जाय तो देखना चाहिए इसी का इमर्जेंसी नाम है। यदि दोनों को एक ही तरीके से देखा जाय तो फिर नौरमल और इमर्जेंसी में क्या अन्तर है? गीता सिंह के पेपर में अर्जेंट लिखा हुआ था।

हम लोग एडजोर्नमेन्ट मोशन रखते हैं, कटीती का प्रस्ताव रखते हैं इससे सरकार के बड़े-बड़े नौकर तलमला जाते हैं, धबड़ा जाते हैं और प्रतिशोध की भावना रखते हैं।

उनके भीतर द्वेष की भावना है। सदस्य लोग असेम्बली में जाकर हमारे ऊपर बोलते हैं, आलोचना करते हैं, ये सारी बातें उन्हें खलती हैं और इसके कारण उनके भीतर प्रतिशोध की भावना रहती है। अध्यक्ष महोदय, विचार किया जाय कि यदि वह लड़की मर जाती तो क्या होता, समय पर काम नहीं होता, एक्सरे नहीं होता, दवा नहीं होती तो रोगी आखिर मरेगा ही। कहीं हत्या होती है, खून होता है, सारी चीजें होती हैं तो ३०२ का केस चलता है लेकिन एक डाक्टर जिसके देखने से बच्ची ठीक होती, लेकिन वे उसको नहीं देखते हैं और अपना कर्तव्य नहीं करते हैं तो इसे भी आप मर्डर और खून के बराबर ही कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिहार की जनता की दुर्दशा की जाती है लेकिन इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। आपने देखा कि एक कुत्ते का एक्सरे, जैसा कि श्री मुद्रिका सिंह ने बतलाया, तीन-तीन बार हुआ और यहाँ बच्ची को देखा तक नहीं गया। जिस समाज में, जिस राज्य में डाक्टर के दृष्टिकोण में मानव और कुत्ते में कोई अन्तर नहीं हो, उसमें कहाँ तक मानवता का दृष्टिकोण हो सकता है। यहाँ एक छोटी बच्ची की बात है जिसे आज भी मैंने देखा है कि जरा उसका हाथ पकड़ा तो बिलख-बिलख कर रोने लगी। वह अपना दुख भी नहीं कह सकती, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में आज अधिकतर डाक्टर ऐसे हैं जो मानवता के दृष्टिकोण से बिल्कुल वंचित हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह किस बात का परिचायक है? हमारी सरकार जो हम लोगों की बनाई हुई सरकार है, उसके मंत्रिगण जब अफसरों की बात होती है तो यहाँ बैठकर उनकी रक्षा करते हैं, उनको डिफेन्ड करते हैं। आज उनका यह कर्तव्य है कि सदन में बैठकर नौकर-शाही दल की रक्षा करें जो अंग्रेजी राज्य में भी नहीं हुआ करता था। अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना अनुभव है कि आज से डेढ़ वर्ष पहले एक आदमी हमारे

पास आया जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी। हमने तीन बार अस्पताल में एम्बुलेन्स कार के लिए फोन किया। जवाब मिला कि पहले पैसा जमा कराइए उसके बाद कार जायगी। लाचार होकर मैं सात रुपये में टैक्सी करके उन्हें अस्पताल ले गया। अध्यक्ष महोदय, यह दृश्य आखिर किस बात का परिचायक है? आपके द्वारा मैं सदन के सदस्यों से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ....

अध्यक्ष—सुना जाता है कि बहुत दफा कार का पैसा अस्पताल को नहीं मिलता,

इसीलिए ऐसा नियम बना।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, ऐसा होना चाहिए कि कार आ जाय

उसके बाद पैसा मांगा जाय और कहा जाय कि पैसा दो तो ले जायंगे।

आखिर अर्जेंन्सी का क्या महत्व है? अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि डाक्टरों को नी बजे अस्पताल में जाना चाहिए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो छोटे बच्चों के डाक्टर हैं वे कभी भी ६ बजे नहीं पहुंचते। अगर वे आ जायें तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष—यहां समय की बात नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि इसी तरह का व्यवहार

डाक्टर करते हैं और अपना मनमाना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए इसलिए कि जो घटना घटी है वह इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे हम लोगों को सचेष्ट होना चाहिए। जो निर्दोष जनता है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है उसको तो अस्पताल में और भी कोई नहीं पूछता है। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों को रोकने के लिए आप डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करें। होता यह है कि एक्सरे कराने के लिए प्राइवेट डाक्टर को सोलह रुपया देना पड़ता है। अस्पताल में कोई एक्सरे के लिए गया तो उसे कहा जाता है कि बाहर एक्सरे करा लो और इस तरह से उस प्राइवेट डाक्टर से उन्हें भी शेयर मिल जाता है। यही असल इन कारणों की जड़ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो आप पहले डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करवाइए और उनका तन बढ़ाइए।

अध्यक्ष—जो घटना है इसके संबंध में आप कहें कि संबंधित डाक्टर ी सजा हो या माफ किया जाय।

श्री रामानन्द तिवारी—माननीय मंत्री क्या जवाब देंगे इसकी जानकारी मुझे

नहीं है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि वे इसकी छानबीन करेंगे। हमारे दोस्त श्री राम नारायण चौधरी ने रेकर्ड की बात कही है। आप देखें कि वहां जाने से कहा जाता है कि आज एक्सरे का दिन नहीं है। आखिर इमरजेंन्सी का मानी क्या है? इमरजेंन्सी का मानी तो यही है कि सब कामों को छोड़कर पहले इस काम को किया जाय। और आखिर यदि बच्ची का एक्सरे हुआ तो फिर यह क्यों कहा गया कि एक्सरे का दिन नहीं है।

४२ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, की (१७ मार्च, पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

आखीर में अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदन के सदस्यों की एक कमिटी बनाई जाय और वह इसकी जांच करे और जो डाक्टर दोषी पाय जाय उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय ताकि फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री रामनरेश सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी इस मोशन पर सभा में जो वाद-

विवाद हो सका है उससे यह साफ जाहिर होता है कि गीता बाबू के साथ जो घटना घटी है यह कोई नयी घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएँ आये दिन हुआ करती हैं।

अध्यक्ष—श्री दारोगा प्रसाद राय यह कह चुके हैं, आप दोहरा रहे हैं।

श्री रामनरेश सिंह—हुजूर, मैं दोहरा नहीं रहा हूँ रेफरेंस कर रहा हूँ कि

अस्पताल इस मामले में जिस तरह से बदनाम है शायद बिहार स्टेट की एक-एक जनता इसे भली-भाँति जानती है। इस तरह से रोगियों के ऐडमीशन में या सीरियस केसेज में बड़े-बड़े डाक्टर नेगलेक्ट करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

लेकिन जहाँ तक गीता बाबू की घटना का संबंध है, श्री मुद्रिकाजी ने विस्तार से उसको यहाँ रखा है। मैं अपनी राय इसमें देता हूँ, मैं दो आदमियों की गलती पाता हूँ। पहली गलती डा० वर्मा या शर्मा जो हों उनकी है।

अध्यक्ष—निश्चित रूप से कहें।

श्री रामनरेश सिंह—गीता बाबू पहले डा० वर्मा के पास गये थे।

अध्यक्ष—शायद आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जब वहस हुई

थी उस समय यह कहा गया था कि स्लिप दिया तब डाक्टर आये।

श्री रामनरेश सिंह—दूसरे दिन आये। उस दिन नहीं। जब एक्सरे हुआ, तो

उसमें निकला कि देर होने के कारण कुछ डिफेक्ट हो गया है। यह मामूली बात नहीं है बल्कि बहुत सीरियस बात है। जब जनता के प्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तब और आम लोगों के साथ क्या होता होगा यह विचारणीय विषय है।

अध्यक्ष—इस प्राउन्ड को तो उन्होंने नहीं लिया था।

श्री रामनरेश सिंह—एम० एल० ए० फ्लैट के डाक्टर ने जब लिख दिया था तो

डा० वर्मा को यह मालूम था कि ये एम० एल० सी० हैं। डाक्टर साहब कागज पर नहीं लिखते हैं वरन् एक फीम होता है, उसमें लिखा जाता है कि एम० एल० ए० हैं कि एम० एल० सी०। जब एम० एल० सी० के साथ इस तरह का व्यवहार होता

है तो जनता जनार्दन के साथ क्या व्यवहार होता होगा इसे आप भली-भांति समझ सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री से कहूंगा कि आप इस पर गौर से सोचें। जब आदमी बीमार होता है तब वह दूसरों के आश्रित रहता है और ऐसे समय में दवा की बहुत जरूरत होती है। गीता बाबू की बच्ची छोटी थी वह अपने दुख-दर्द को कह नहीं सकती थी। दूसरी बात मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि जब यहां स्थगन प्रस्ताव आया तो सुपरिन्टेंडेंट किसी मंत्री के यहां जाकर कनभासिंग कर रहे थे कि ऐसी बात नहीं है। आज गलतियों पर पर्दा डालने की आदत हो गयी है इसलिये सुपरिन्टेंडेंट भी बरी नहीं हैं। मैं उनकी एक बात बताता हूँ। हमारे क्षेत्र के एक ओभरसियर, जो सरकारी नौकर है, मोहनिया में रहते हैं, उनको आई स्पेशलिस्ट डी० के० बोस ने कहा कि ४०० गोली ले जाइये, आप देहात में रहते हैं। लेकिन सुपरिन्टेंडेंट ने उनको अपने कमरे से निकाल दिया कि नहीं देंगे और कहा कि १५ गोली से अधिक नहीं देंगे। अन्त में आरजू मिश्र के बाद ३० गोलियां उन्होंने लिखा। मैं उनकी दरखास्त लेकर चिकित्सा मंत्री के पास गया और उन्होंने अपने सचिव को लिख दिया कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिये। फिर सचिव ने लिख दिया कि इनके पुर्जों में जो लिखा है वह मिल जाना चाहिये। डिप्टी डाइरेक्टर से ४०० गोलियों को देने के लिये ऑर्डर मिला इस पर भी उनको गोली नहीं मिली और कहा गया कि ६० से अधिक नहीं दे सकते हैं और वह ओवरसियर ६० गोलियां ही लेकर चला गया। मंत्री, सचिव आदि अफसरों के हुक्म की तामील इसी तरह आज हो रही है।

अध्यक्ष—यहां सुपरिन्टेंडेंट की बात सागू नहीं होती है।

श्री रामनरेश सिंह—मैं इसलिये कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं जेनरल अस्पताल में बराबर होती हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि अधिकारियों को उचित सजा मिलनी चाहिये।

(श्री हृदय नारायण चौधरी खड़े हुए।)

अध्यक्ष—आप ५ मिनट से अधिक न बोलें।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अच्छा होगा यदि मंत्री के जवाब को सुनने के बाद हम बोलें।

अध्यक्ष—‘काम रोकें’ प्रस्ताव में यह नियम नहीं है कि मंत्री आखीर में बोलेंगे। कोई भी बोल सकते हैं, चाहे मंत्री हों या सदस्य। १५ मिनट से कम बोल सकते हैं, अधिक नहीं।

(श्री हृदय नारायण चौधरी खड़े हुए तो कुछ सदस्य उनको बोलने के लिये कह रहे थे और कुछ मना कर रहे थे।)

४४ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, की (१७ मार्च, पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

श्री राम लखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह देना वाजिब

समझता हूँ कि कोई भी सदस्य हों जबर्दस्ती कोई कहे कि बोलें या न बोलें यह परम्परा ठीक नहीं है।

अध्यक्ष—हाँ, यह परम्परा ठीक नहीं है।

Shri YOGESHWAR GHOSH : Sir, I rise on a point of order. With your permission Mr. Hirdey Narain Chaudhri was called upon to deliver his speech and I hope after that he should not be put to take his seat.

अध्यक्ष—जब आप अपनी जगह से नहीं बोल रहे हैं तो प्वायन्ट आफ आर्डर

कैसे रोज कर सकते हैं?

श्री योगेश्वर घोष—मैं अपनी जगह पर जाता हूँ।

अध्यक्ष—आपका प्वायन्ट आफ आर्डर ठीक नहीं है। अगर मैं किसी सदस्य को

‘पुकारूँ और वे खड़े हो गये और विचार करने के बाद न बोलें और बैठ जाय तो मैं दंडस्वरूप इतना ही कर सकता हूँ कि उस विषय पर फिर उन्हें बोलने का मौका न दूँ।

*श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण देने के लिये नहीं बल्कि

एक सूचना आपको और आपके द्वारा माननीय सदस्यों को देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस संबंध में प्रारंभिक जांच हमारे स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक ने की है और जांच के समय में सभी संबंधित व्यक्ति और माननीय श्री गीता प्रसाद सिंह जी भी उपस्थित थे। जांच की जो रिपोर्ट अभी आई है वह प्रारंभिक है उससे मालूम होता है और जैसा स्पष्ट है....

अध्यक्ष—अंतिम रिपोर्ट आपके पास नहीं है?

श्री हरिनाथ मिश्र—जो अभी रिपोर्ट आयी है उसीके आधार पर अभी मैं

कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि इसमें किसी भी डाक्टर या गैजेटेड अफसर का दोष नहीं है। प्राइमा फेसी साफ मालूम होता है कि कुछ टेक्नीशियन्स का व्यवहार अच्छा नहीं था और आपत्तिजनक था। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार की ओर से इस संबंध में जैसी कार्रवाई साधारणतः होती है, एक्सप्लानेशन कौल करना, फिर प्रोसीडिंग ड्रो करना और उसके बाद अनुशासन की कार्रवाई करना, इस तरह की कार्रवाई उचित और पर्याप्त और शीघ्र की जायेगी। माननीय श्री गीता प्रसाद सिंह से मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मित्रता है। कितने सरल और सज्जन व्यक्ति वे हैं, इसे मैं जानता हूँ। उनको जो तकलीफ हुई, मैं आपसे निवेदन करूँगा, उससे मुझे भी कुछ कम तकलीफ नहीं हुई। मैं देख रहा हूँ कि कई

माननीय सदस्यों ने इस घटना को लेकर क्षोभ प्रगट किया, मुझे भी क्षोभ है, तकलीफ है। इस संबंध में कार्रवाई होगी लेकिन अंसल में सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो कि कम से कम एक्सरे विभाग में इसके लिये क्या किया जाय और जो कुछ लाभ या हानि इस बहस से हुई या नहीं हुई, एक बात अवश्य हुई और वह यही है कि हमारा ध्यान एक्सरे विभाग की शिकायतों की ओर विशेषरूप से आकृष्ट हुआ। कुछ सुझाव इस संबंध में विशेषज्ञों ने दिये हैं। एक्सरे विभाग की सेवाओं में हम कैसे उन्नति ला सकते हैं, कैसे अधिकाधिक लाभ आम लोगों को उस विभाग के द्वारा हो सकता है इसके लिये कुछ सुझाव वे पेश किये हैं। वे सुझाव इस प्रकार के हैं:—

- (1) There should be one Receptionist clerk in the X'ray Department.
- (2) One varandah should be added on the northern side for the waiting cases.
- (3) Four more technicians and four more ward attendants should be appointed.
- (4) The working of the X'ray Department should be whole day.
- (5) One more dark room for processing films should be added.
- (6) There should be a separate Physiotherapy Department.
- (7) One more high powered Diagnostic set should be added.

ये सुझाव हैं और मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इन सुझावों पर अच्छी तरह विचार करके, शीघ्र कदम उठाने की हम कोशिश करेंगे और जहां तक हो सके इन सुझावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे एवं अन्य उचित कार्रवाई करेंगे ताकि फिर भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इतना ही मुझे निवेदन करना था (थप थपी)।

श्री रामचरित्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं बहुत देर

से इस 'काम रोको' प्रस्ताव पर जो विचार हो रहे हैं सोच रहा था। मैं श्री मुद्रिका सिंह को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने शान्तिपूर्ण, अच्छे शब्दों में, अपने प्रस्ताव को रक्खा और इस बात की कोशिश की कि सरकार इस बात पर किया जाय। इसपर दो विचार नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि जनता के हित के लिये आपने जिन बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है उसके लिये सरकार सब कुछ करेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि भविष्य में इस तरह की बातें न होने पावें और आगे चलकर आपको इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में लाने का मौका न मिले। हमारे मित्र चिकित्सा मंत्री महोदय ने आपको सामने दिल खोल कर रख दिया है। अगर जरूरत होगी कमीशन की तो उसका भी इंतजाम शायद वे करेंगे या और तरीका होगा जिस तरीके से सुधार हो सकता है उस तरीके से काम किया जायगा। मगर मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह की

४६. पटना मेडिकल कॉलेज द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, (१७ मार्च, १९५६)
 । कीपुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

बीज से लोगों को तकलीफ होती है। मगर ऐसे ऐसे मामलों में आपको आपस में तय करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक ऐसी चीज है जिस पर सरकार को अपनी हस्ती भी बचानी पड़ती है। लेकिन ये सब चीजें अस्पताल में होती हैं, लोगों को तकलीफ होती है। डाक्टर लोग ठीक इन्तजाम नहीं करते हैं। यह तो सबलोगों के साथ होती है और इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लेना चाहें तो जो सरकार अभी है उसकी मनोवृत्ति की बात कुछ ख्याल में आजाती है। अगर कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले लिया गया तो इसका मतलब है सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव आ गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे-ऐसे मामलों में, जो कॉमन चीज है, जैसे हॉस्पिटल के बारे में हो या और किसी चीज के लिए हो, स्थगन-प्रस्ताव नहीं लाकर जो मिनिस्टर ईजाजें हों, उनसे बातचीत करके फौरन तय कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन सब बातों को सोचें और गौर करें और भविष्य में ऐसे मामलों पर स्थगन-प्रस्ताव नहीं लावें। इसके बारे में और मैं कह देना चाहता हूँ कि स्थगन-प्रस्ताव के लिए स्पेसिफिक मोशन होना चाहिए।

Shri SRISH CHANDRA BANERJEE : Sir, I rise on a point of order. I want to know, are we supposed to be students that we stand in need of teaching by the Hon'ble Minister? We know what is adjournment motion.

SPEAKER : There is no teacher and there is no student. All are equal here.

समा सोमवार, तिथि १६ मार्च, १९५६ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना, तिथि १७ मार्च, १९५६।

एनायतुर रहमान, सचिव,

बिहार विधान सभा।